"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 मई 2016 — वैशाख 17, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2016

क्रमांक 4564/डी. 153/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 02-05-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 22 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 36 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खण्ड (ढ) एवं (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्,-

"(ढ) जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था या मंडल से,-

(एक) पंच पद के लिये, 5वीं परीक्षा; और

(दो) पंच के ऊपर के पदधारी के लिये, 8वीं या समकक्ष परीक्षा,

उत्तीर्ण न हो :

परंतु यह प्रावधान इस संशोधन के प्रवृत्त होने के पूर्व निर्वाचित पदधारियों के विषय में लागू नहीं होगा.

(ण) जिसके निवास परिसर में, जलवाहित शौचालय न हो."

रायपुर, दिनांक 7 मई 2016

क्रमांक 4564/डी. 153/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 22 of 2016)

THE CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 36.

2. For clause (n) and (o) of sub-section (1) of Section 36 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the following shall be substituted , namely :-

"(n) has not passed,-

(i) 5th Standard Examination for the post of Panch; and

(ii) 8th Standard or equivalent Examination for office bearer above Panch,

from any recognized Institution or Board :

Provided that this provision shall not be applicable in the matter of office bearers elected before enforcement of this amendment.

(o) Whose Residential Premise does not have flush latrine."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.